कार्यालय, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सूरजपुर (छ.ग.)

//विविध आदेश//

क्रमांक—क/एक—15—3/2013, सूरजपुर, दिनांक 02 दिसंबर, 2023

इस कार्यालय के कार्य विभाजन सबंधी विविध आदेश क्रमांक—क/एक—15—3/2013, सूरजपुर, दिनांक 30 नवंबर, 2023 में निम्नानुसार आंशिक संशोधन समाविष्ट किया जाता है :—

क्र.	न्यायालय का नाम	भौगोलिक क्षेत्राधिकार	प्रकरणों का प्रकार, जिनका निराकरण किया जाना है
1	2	3	4
1	जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज)/विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) सूरजपुर तथा मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, सूरजपुर।	सम्पूर्ण सत्र खण्ड एवं सिविल जिला सूरजपुर।	1. सत्र प्रकरण। 2. अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अंतर्गत प्रस्तुत विशेष सत्र एवं आपराधिक प्रकरण (एट्रोसिटीज) एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति के दर्ज प्रकरण. (POCSO Act से संबंधित प्रकरणों को छोड़कर) 3. मुख्यालय में प्रस्तुत होने वाले दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 एवं 439 से संबंधित जमानत आवेदन पत्र। 4. Drugs & Cosmetics Act, 1940 के अंतर्गत adulterated drugs & spurios drugs से संबंधित अपराधों का विचारण। 5.Chhattisgarh Protection of dipositors Interest Act, 2005 के अंतर्गत अपराधों का विचारण। 6. समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी/द्वितीय श्रेणी, सूरजपुर के न्यायालय से उत्पन्न उत्पन्न आपराधिक अपीलें एवं अपराधिक पुनरीक्षण। 7. न्यायाधीश, परिवार न्यायालय की अनुपस्थिति में अति आवश्यक कार्य का संपादन। 8. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले विशेष आपराधिक प्रकरणों की सुनवाई हेतु विधि विभाग एवं विधायी विभाग रायपुर के पृष्ठांकन क्रमांक—11765/3286/21—बी/सी.जी./2023, नवा रायपुर, दिनांक 05.10.2023 के द्वारा अधिसूचित किया गया।
		<u>तहसील</u> सूरजपुर, भैयाथान, ओड़गी, प्रेमनगर, रामानुजनगर, लटोरी, बिहारपुर	1. स्थानीय एवं विशेष अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत सिविल एवं विविध अपीलें व निर्वाचन याचिकायें। 2. छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधि. 1961 की धारा 20 के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले चुनाव याचिकाएं। 3. नगर पालिक निगम के अंतर्गत आयुक्त द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सिविल अपीलें। 4. सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 24 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र। 5. मानवाधिकारों के उल्लघंन से उद्भूत होने वाले प्रकरण। 6. भू—अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 18 के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा किये गये रिफरेन्स। 7. लोक परिसर (बेदखली) अधिनियम 1971 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण। 8. धारा 9 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत विचारणीय ऐसे वाद, याचिका तथा आवेदन पत्र जो इस आदेश में किसी अन्य न्यायालय को आबंटित नहीं है। 9. अन्य अधिनियम के अन्तर्गत जिला न्यायाधीश द्वारा विचारणीय विवाद जो इस आदेश में अन्य न्यायालय को आबंटित नहीं किये गये हैं। 10. माननीय उच्चतम न्यायालय एवं छ.ग. उच्च न्यायालय द्वारा समय—समय पर प्रेषित एवं अंतरित प्रकरण। 11. सूरजपुर जिले के अंतर्गत समस्त थानों से उत्पन्न होने वाले मोटर दुर्घटना दावा आवेदन धारा 163 (ए), 166 एवं 140 मो0व्ही0एक्ट.1988 (संशोधित अधिनियम 1994) के अंतर्गत (प्रतापपुर न्यायालय के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले मामलों को छोड़कर) इस न्यायालय में पेश किये जायेगें। 12. रू0 40,000,01/—**(चालीस लाख एक रूपये)** से मूल्य के सिविल वाद एवं आवेदन पत्र एवं उनसे उत्पन्न निष्पादित एवं विविध सिविल प्रकरण। 13. समस्त व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग—1 एवं व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2 सूरजपुर के न्यायालय से उत्पन्न सिविल प्रकरण में घोषित निर्णय, आज्ञप्ति एवं आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपीलें तथा विविध अपील, उत्तराधिकार अधिनियम की अपीलें। 14. Specific Relief Act, 1963 (Amendment) Act, 2018 HJS Level के अंतर्गत प्रकरण (प्रतापपुर न्यायालय के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले मामलों को छोड़कर) इस न्यायालय में पेश किये जायेंगे। 15. जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा सुनवाई न किये जाने की स्थिति में सत्र

			न्यायाधीश, सूरजपुर द्वारा **किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम, 2015 के प्रावधानानुसार (101 अपीलें के अंतर्गत)** प्रस्तुत अपील की सुनवाई की जावेगी।
4	तृतीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा तृतीय अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, सूरजपुर।	सत्र खण्ड सूरजपुर।	**(रिक्त न्यायालय)**

शेष विविध आदेश पूर्ववत् रहेगा

सही/-

(गोविन्द नारायण जांगड़े)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश

पृष्ठांकन क्रमांक—क/एक—15—3/2013, सूरजपुर, दिनांक 02 दिसंबर, 2023

<u>यथा निर्देशित प्रतिलिपि</u> :—

1. प्रथम/तृतीय/अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश/(FTC/FTSC), सूरजपुर/प्रतापपुर,
2. अध्यक्ष, जिला न्यायालय कम्प्यूटर कमेटी, सूरजपुर,
3. प्रथम/तृतीय/व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—1, सूरजपुर/प्रतापपुर,
4. प्रथम/द्वितीय/प्रथम अति./द्वितीय अति./चतुर्थ अति. व्य.न्यायाधीश, वर्ग—2, सूरजपुर,
5. श्रीमान् प्रभारी अधिकारी, केन्द्रीय पंजीयन शाखा, सूरजपुर/प्रतापपुर,
6. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ, सूरजपुर/प्रतापपुर,
7. प्रस्तुतकार, माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सूरजपुर

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

02/12/23

प्रशासनिक अधिकारी,
कार्यालय, जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
सूरजपुर (छ.ग.)